




कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर)

प्लोटिंग, मेड़ एवं समतलीकरण के कार्यों के लिए बेकहो लोडर (Backhoe Loader) उपलब्ध कराने हेतु निविदा (वर्ष 2019-20)

निविदा प्रपत्र क्रम संख्या	वर्ष 2019-20 / सं. 04/08
निविदा क्रम संख्या	क्रमांक:एफ()/कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/94 दिनांक:-08.06.2019 (UBN JAU1920SSOB00037)
निविदा प्रपत्र शुल्क	500 / -रुपये रसीद संख्या:.....दिनांक:-.....
निविदा वर्ष	2019-20
बेकहो लोडर उपलब्ध कराने की अनुमानित अवधि	जून 2019 से फरवरी 2020
अनुमानित लागत	रु. 300000 / -
निविदा प्रपत्र उपलब्ध होने की तिथि	10.06.2019 से 17.06.2019 सुबह 11.30 बजे तक
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	17.06.2019 दोपहर 01.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	17.06.2019 दोपहर 01.30 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
पत्राचार हेतु पता	प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर (कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) (राज.) 344021

नोट:- धरोहर राशि कार्यालय, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर में किसी भी कार्य दिवस में जमा करायी जा सकती है। धरोहर राशि दिनांक 17.06.2019 दोपहर 01.00 बजे तक ही स्वीकार की जायेगी। धरोहर राशि बैंकर्स चेक या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जो की ऑफिसर इंचार्ज, एग्रिकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हों, जमा करायी जा सकती हैं।

संलग्न:-निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्तें-


प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

निविदा प्रपत्र

(प्लोटिंग, मेड़ एवं समतलीकरण के कार्यो के लिए बेकहो लोडर(Backhoe Loader) उपलब्ध कराने हेतु)

निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500 /- (अक्षरे रू. पाँच सौ मात्र) रसीद संख्या दिनांक
निविदा सूचना क्रमांक एफ./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/94 दिनांक 08.06.2019 के तहत
कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी पर प्लोटिंग, मेड़ एवं
समतलीकरण के कार्यो के लिए बेकहो लोडर (Backhoe Loader) उपलब्ध कराने का निविदा
प्रपत्र धरोहर राशि रू 6000 /- (अक्षरे रूपये छः हजार मात्र) बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक संख्या
..... दिनांक

निविदादाता का नाम व पूरा पता

दूरभाष नंबर यदि हो : मो. नंबर

क्र.स.	कार्य का विवरण	निविदा दर रूपये में प्रति एक घंटे की भरे (समस्त प्रकार के कर सहित)
1.	कृ.अ.उप.के. फार्म पर बेकहो लोडर द्वारा प्लोटिंग, मेड़ व समतल करना	

P. Singh

हस्ताक्षर निविदादाता ठेकेदार

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर


सूचना क्र./कृअउके/समदड़ी/स्टोर/निविदा/2019/94

दिनांक:-08.06.2019


प्लोटिंग, मेड़ एवं समतलीकरण के कार्यों के लिए बैकहो लोडर (Backhoe Loader)

उपलब्ध कराने हेतु निविदा की शर्तें

1. मुहरबन्द निविदा प्रभारी अधिकारी, कृषि अनुसंधान उप केन्द्र, समदड़ी, बाड़मेर के नाम से देय होनी चाहिए।
2. निविदा मुहरबन्द लिफाफे में भौतिक रूप में ही जमा करवानी है जिसके लिफाफे प्लोटिंग, मेड़ एवं समतलीकरण के कार्यों के लिए अनुबंध पर बैकहो लोडर (Backhoe Loader) उपलब्ध कराने हेतु निविदा तथा दिनांक 08.06.2019 लिखा होना चाहिए।
3. प्रत्येक कार्य की निविदा दर स्पष्ट रूप से अंको व शब्दों में लिखी होनी चाहिए।
4. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
5. निविदा निविदाशर्तों का अध्ययन करने के पश्चात ही प्रस्तुत करें तथा प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिए।
6. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात 12 महीने के लिये मान्य होगी। आपसी सहमति से यह समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
7. निविदा के साथ रु 6000/- (अक्षरे रूपये छः हजार मात्र) धरोहर राशि बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के साथ जो की ऑफिसर इंचार्ज, एग्रीकल्चरल रिसर्च सब स्टेशन, समदड़ी (Officer Incharge, ARSS, Samdari) के नाम देय हो, व निविदा प्रपत्र शुल्क रु 500/- (अक्षरे रु पाँच सौ मात्र) नकद जमा कर प्रस्तुत करें। बिना धरोहर राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी तथा धरोहर राशि के रूप में बैंक स्वीकार नहीं किया जायेगा।
8. निविदा दिनांक 17.06.2019 को दोपहर 01:30 बजे बाद खोली जायेगी। यदि किसी कारण वश उस दिन का अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
9. किसी भी निविदा को स्वीकृति/ अस्वीकृति/ स्थगित/ निरस्त आदि करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं प्रभारी अधिकारी का निर्णय सर्वमान्य होंगे।
10. कार्य, प्रभारी अधिकारी/ फार्म प्रभारी/ फार्म प्रबंधक/ कृषि पर्यवेक्षक की निगरानी में उनके निर्देश के अनुसार पूरा करना होगा।
11. कार्य की प्रकृति एवं मांग के अनुसार Backhoe loader उपलब्ध करवाना होगा। ठेकेदार को समय-समय पर अग्रिम रूप से सूचित किया जाता रहेगा। ठेकेदार को उसी अनुसार निर्धारित समय पर कार्य करवाना होगा अन्यथा, कार्य सम्पादन में किसी भी प्रकार के विलम्ब को अनुसंधान उप केन्द्र का नुकसान माना जायेगा जो कि धरोहर राशि के बराबर अथवा कमेटी जो निर्धारित करेगी, उसी के अनुसार नुकसान कि भरपाई ठेकेदार को करनी होगी।
12. निर्धारित मापदंडों के अनुसार कार्य न होने पर उस कार्य को सुधार कर पूरा करवाने कि जिम्मेदारी ठेकेदार कि होगी। जिसको निविदादाता द्वारा स्वयं के खर्च से व्यवस्थित रूप से पूरा करवाना होगा। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असमर्थ रहा तो उस कार्य को अनुसंधान केन्द्र द्वारा ठेकेदार के जोखिम पर करवाया जायेगा।
13. Backhoe loader उच्च कार्यसमता व मय दस्तावेज़ के होना चाहिये।



14. ठेकेदार के Backhoe loader द्वारा यदि फार्म कि फसलों अथवा संपत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भुगतना पड़ेगा अथवा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि अथवा देय भुगतान में से काट लिया जायेगा।
15. भुगतान केवल पूरा करवाये गये कार्य कि मात्रा के अनुसार ही किया जायेगा तथा ठेकेदार को अग्रिम तौर पर धन, सामान अथवा किसी प्रकार कि सेवा प्रदान नहीं कि जायेगी।
16. सफल निविदादाता के अतिरिक्त सभी कि धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के पश्चात सात दिन के अन्दर - अन्दर लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. सफल निविदादाता यदि ठेका बीच में छोड़ देता है तो उसकी धरोहर राशि व करवाये गये कार्य बकाया भुगतान जब्त करके ब्लेक - लिस्टेड घोषित कर दिया जायेगा।
18. कार्यालय द्वारा स्वीकृति दरों के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा स्रोत पर आयकर, सेवाकर या सरकारी देनदारी, अन्य कर देय हो तो नियमानुसार कटोती निविदादाता से कि जायेगी।
19. अनुबंधकर्ता को नॉन - ज्यूडिसियल स्टाम्प रुपये 500 या हाल ही घोषित सरकारी दर पर इकरारनामा (अनुबन्ध) प्रेषित करना होगा एवं साथ ही अनुबन्धित वार्षिक राशि कि 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति (Security) के रूप में निर्धारित अवधि में जमा करवानी होगी।
20. बेकहो लोडर (Backhoe Loader) के चालक व सहायक द्वारा अशिष्ट व्यवहार करने व कार्य संतोषजनक नहीं होने पर ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। चालक व साहयक के संदर्भ में यदि किसी प्रकार का कोई दायित्व उत्पन्न होता है तो उसके लिये संबन्धित निविदादाता ही व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेगा तथा अनुसंधान केन्द्र किसी भी रूप से उत्तरदायी नहीं होगा तथा इस सम्बन्ध में अनुसंधान केन्द्र के विरुद्ध की गई सभी कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही प्रभाव शून्य होगी।
21. अनुबन्ध अवधि में किसी चालक व साहयक की दुर्घटना से मृत्यु या अन्य दुर्घटना घटित होने पर उससे उत्पन्न किसी प्रकार के विवाद की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता (ठेकेदार) की होगी। ऐसी स्थिति में अनुसंधान उप केन्द्र की किसी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं होगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा और न ही इस सम्बन्ध में अनुसंधान उप केन्द्र प्रशासन से क्षतिपूर्ति की मांग की जावेगी।
22. राजस्थान Transparency in public procurement rule 2013 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।
23. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अनुसंधान केंद्र का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा एवं ठेकेदार उसके लिए बाध्य होगा।
24. निविदादाता/ फर्म/ एजेंसी के पास पास आयकर विभाग द्वारा निर्गत वैध पैन नं (PAN No.)/सेवाकर नम्बर इत्यादि व निर्देशित प्रमाण पत्र जो ऐसे निविदादाता के लिए आवश्यक हो, होने चाहिए।


प्रभारी अधिकारी

मुझे (निविदादाता)समस्त उपरोक्त शर्तें मंजूर हैं एवं मैं उपरोक्त शर्तों पर कार्य करने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता (ठेकेदार)